लोक अदालत स्कीम, 2003

1. **संक्षिप्त नाम**– यह स्कीम लोक अदालत स्कीम, 2003 कहलायेगी।

2. **परिभाषाएं** – इन सभी नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 की सं0 39,)

(ख) **"अध्यक्ष"**से अभिप्रेत है,राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष, या यथास्थिति, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष, या यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष,

(ग) **"जिला प्राधिकरण"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

(घ) **"उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 8–क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,

(ड.) **"मुख्य संरक्षक"** से अभिप्रेत है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,

(च) **"राज्य प्राधिकरण"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

(छ) **"तालुक विधिक सेवा समिति"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 11–क के अधीन गठित तालुक विधिक सेवा समिति,

(ज) इस स्कीम में प्रयोग किये लेकिन परिभाषित नही किये गये शब्दों एवं पदों का क्रमशः अधिनियम में उनको समनुदेशित किया गया अर्थ होगा।

3. **लोक अदालत आयोजित करने की प्रक्रिया** –

(1) राज्य प्राधिकरण का सदस्य सचिव या, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, यथास्थिति नियमित अन्तरालों में लोक अदालतों का आयोजन एवं संचालन करेगा,

परन्तु उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण के सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष को यथास्थिति जैसे ही अधिनियम की धारा 20 के अधीन पर्याप्त संख्या में मामले संदर्भित कर दिये गये हों, या अन्यथा लेने के लिए उपलब्ध हो गये जो, वैसे ही लोक अदालत आयोजित करेगा।

(2) राज्य प्राधिकरण प्राधिकरण को सूचना –यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष उस तारीख से पहले लोक अदालत आयोजित करने के प्रस्ताव के बारे में राज्य प्राधिकरण को सूचित करेगा जिस तारीख पर लोक अदालत आयोजित किये जाने का प्रस्ताव किया गया हो और राज्य प्राधिकरण को निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएगा –

(i) स्थान और तारीख जिस पर लोक अदालत आयोजित किये जाने का प्रस्ताव किया गया हो,

(ii) वर्ग एवं विषयवार मामलों की प्रकृति, उदाहरणार्थ प्रस्तावित लम्बित मामले या पूर्व मुकदमा विवाद, या दोनों जिन्हें लोक अदालत के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित हो,

(iii) लोक अदालत के समक्ष रखे जाने हेतु प्रस्तावित मामलों की संख्या,

(iv) लोक अदालत का आयोजन करने तथा संचालन करने हेतु कोई अन्य सुसंगत सूचना।

4. संबन्धित पक्षकारों को नोटिस –

(1) लोक अदालत का आयोजन करने वाला या संचालन करने वाला या, राज्य प्राधिकरण या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण के सचिव या, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, यथास्थिति लोक अदालत का आयोजन तथा संचालन करेगा तथा उस प्रत्येक मुकदमेंबाज को जिसका मामला लोक अदालत को संदर्भित किया गया हो, समय से सूचित करेगा ताकि उसको ताकि उसको लोक अदालत के समक्ष स्वयं को तैयार रखने का अवसर मिल सके।

स्पष्टीकरण :– लम्बित मामलों में अधिवक्ता को नोटिस मुकदमेंबाज को सूचना मानी जा सकेगी।

5. लोक अदालत का संयोजनः–

(1) **उच्च न्यायालय स्तर पर**– लोक अदालत आयोजित करने वाला उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव माननीय मुख्य न्यायाधिपति के अनुमोदन से लोक अदालत की न्यायपीठों में निम्न में से दो या तीन समाविष्ट किए जाएंगे –

(i) उच्च न्यायालय का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश

(ii) विधिक वृत्ति का कोई सदस्य, और

(iii) विधि के क्षेत्र में कोई अन्य विख्यात व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता,

(2) **जिला स्तर पर** – लोक अदालत पर आयोजित करने वाला जिला प्राधिकरण का सचिव लोक अदालतों की न्यायपीठों का गठन अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ करेगा प्रत्येक न्यायपीठ में निम्नलिखित में से दो या तीन समाविष्ट किए जाएंगे –

(i) कोई सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी,

(ii) विधिक वृत्ति का कोई सदस्य, और

(iii) विधि के क्षेत्र में कोई अन्य विख्यात व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता,

(3) **तालुक स्तर पर** – लोक अदालत संगठन करने वाली तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, लोक अदालत की न्यायपीठों का गठन करेगा, प्रत्येक न्यायपीठ में निम्न में से दो या तीन समाविष्ट किए जाएंगे –

(i) कोई सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी,

(ii) विधिक वृत्ति का कोई सदस्य, और

(iii) विधि के क्षेत्र में कोई अन्य प्रसिद्व व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता,

6. अभिलेखों को समन करना और इनकी सुरक्षित अभिरक्षा का दायित्व –

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष यथास्थिति उन सभी लम्बित मामलों के न्यायिक अभिलेखों को मांग सकेगा जिन्हें सम्बन्धित न्यायालयों से अधिनियम की धारा 20 के अधीन लोक अदालत को संदर्भित किया गया हो।

(2) यदि कोई मामला पूर्व मुकदमा स्तर पर लोक अदालत को संदर्भित किया जाता है तो प्रत्येक पक्षकार का रूपान्तर लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाने के लिए, यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण के सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(3) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या, तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष यथास्थिति न्यायालय से अभिलेख प्राप्त किए जाने से उन्हें वापस करने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को न्यायालय अभिलेखों के संप्रेषण में सहयोग करना होगा।

(5) इस बात पर विचार किये बिना कि लोक अदालत द्वारा मामलों को निपटा दिया है या नहीं लोक अदालत को आयोजन के तुरंत बाद न्यायिक अभिलेखों को कार्यवाहियों के परिणामों के पृष्ठांकन के साथ वापस कर दिया जायेगा।

7. लोक अदालत का कार्य –

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, यथास्थिति अध्यक्ष से या यथास्थिति आदेश प्राप्त करने के पश्चात् लोक अदालत की न्यायपीठों को मामले समनुदेशित करेगा।

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, यथास्थिति लोक अदालत की प्रत्येक न्यायपीठ के लिए एक वादसूची तैयार करेगा और सभी संबद्ध को सम्यक रूप से अधिसूचित करेगा।

(3) लोक अदालत की प्रत्येक न्यायपीठ प्रत्येक मामलें में किसी बाध्यता, धमकी या अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या दुर्व्यपदेशन के बिना इसके समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रत्येक मामलों में सुलहकारी निराकरण के लिए गंभीर प्रयास करेगा।

8. लोक अदालत का आयोजन करना – लोक अदालत का आयोजन बन्द शनिवार, रविवार एवं अवकाश को ऐसे समय एवं स्थान पर आयोजित किया जा सकेगा जैसा कि यथास्थिति लोक अदालत का आयोजन करने वाला राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति उचित समझे।

9. लोक अदालत में समझौता या निपटारे को प्रभावशील करने के लिए प्रक्रिया –

(1) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय या आदेश लोक अदालत का गठन करने वाले पैनल द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) मूल अधिनिर्णय या आदेश न्यायिक अभिलेख का भाग होगा तथा लोक अदालत की न्यायपीठ द्वारा अधिनिर्णय या आदेश की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि प्रत्येक पक्षकार को दी जाएगी।

10. अधिनिर्णय/आदेश का वर्गीकृत एवं स्पष्ट होना –

(1) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय/आदेश वर्गीकृत एवं स्पष्ट होगा और स्थानीय न्यायालयों में प्रयुक्त भाषा में लिखा जायेगा।

(2) लोक अदालत के आदेश या निर्णय पर विवाद के पक्षकार को अपना हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान यथास्थिति लगाना होगा।

11. परिणामों को संकलन – लोक अदालत के सत्र के निष्कर्ष पर, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव या जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष यथास्थिति राज्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए संलग्न प्रपत्र में परिणामों का संकलन करेगा।

12. लोक अदालत के अधिकारियों एवं कर्मचारिवृन्द को पारिश्रमिक –

(1) लोक अदालत की न्यायपीठ का प्रत्येक पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य वाहन भत्ते का हकदार होगा जैसा कि मुख्य संरक्षक द्वारा नियत किया गया हो।

(2) तालुक एवं जिला स्तरों पर आयोजित की गयी लोक अदालतों के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य उस दर पर मानदेय के हकदार होंगे जैसा कि मुख्य संरक्षक द्वारा नियत किया गया हो।

(3) उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित की गयी लोक अदालतों के लिए पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य ऐसी दर पर मानदेय के हकदार होंगे जो मुख्य संरक्षक द्वारा नियत किया गया हो।

13. अधिनियम की धारा 20 के अधीन या अन्यथा संदर्भित मामलों के अभिलेख को रखने की प्रक्रिया –

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, यथास्थिति एक रजिस्टर रखेगा जिसमें लोक अदालत के संदर्भ के रूप में उसके द्वारा प्राप्त किये गये सभी मामलों की प्रविष्टि की जाएगी, वर्णित करते हुए,

(i) प्राप्ति की तारीख,

(ii) वर्ग तथा विषयानुसार प्रकरण की प्रकृति,

(iii) ऐसे अन्य विवरण जो आवश्यक प्रतीत हों, तथा

(iv) निपटारे तथा केस फाइल वापस करने की तारीख

(2) जब मामले को लोक अदालत द्वारा अन्तिम रूप से निपटारा कर दिया जाए, तब एक समुचित प्रविष्ट रजिस्टर में की जायेगी।

14. बजट : –

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा जिला प्राधिकरण लोक अदालत स्कीम के बाबत् वित्तीय वर्ष के आधर पर राज्य प्राधिकरण के समक्ष बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(2) तालुक विधिक सेवा समिति लोक अदालत स्कीम के बाबत् वित्तीय वर्ष के आधार पर जिला प्राधिकरण के समक्ष बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

(3) लोक अदालत स्कीम के खर्च हेतु 'गैर आयोजन व्यय' का गठन किया जायेगा और यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा, जिला प्राधिकरण तथा तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा प्राप्त किये गये अनुदानों में से किया जा सकेगा।

15. लेखाओं का रखा जाना–

(1) यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालतों पर किये जाने वाले खर्च पर सम्पूर्ण नियंत्रण रखेगा।

(2) यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव, हर तीन महिने में राज्य प्राधिकरण को सत्य एवं उचित लेखा सौंपेगा।

(3) तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष हर महीने जिला प्राधिकरण को सत्य एवं उचित लेखा सौंपेगा।

16. **निधि देना**– यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण या तालुक विधिक सेवा समिति के निवेदन पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालतों को बुलाने तथा आयोजित करने के लिए विशेष अनुदान दे सकेगा यदि आवश्यक समझे–

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव, या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष यथास्थिति ऐसी सभी सहायता प्रदान करेंगे जो लोक अदालत कि लिए आवश्यक हो।

(2) लोक अदालतें अनौपचारिक रीति से आयोजित की जायेंगी।

प्रारूप

लोक अदालत में मामले को निराकृत करने के लिये प्रारूप

क्रमांक संख्या	स्थान का नाम	लोक अदालत की तारीख	निराकृत प्रकरणों की		
			सिविल	दावा	दाण्डिक
1	2	3	4	5	6